कामकाजी महिलाओं के लिए क़ानून

न केवल निरक्षर बल्कि अकसर पढ़े लिखे लोग भी सही क़ानूनी जानकारी न होने की वजह से शोषण का शिकार होते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आइए देखें, क़ानून क्या कहता है।

भेदभाव गैर-क़ानूनी

यदि औरत और मर्द दोनों से एक जैसा काम लिया जाए तो समान काम, समान वेतन क़ानून के हिसाब से दोनों को बराबर का मेहनताना देना पड़ेगा।

भर्ती के वक्त औरत और मर्द में भेदभाव करना मना है। यदि भर्ती के वक्त कोई मालिक भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। सरकार ने इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए कुछ अफसर नियुक्त किए हैं। उन अफसरों के पास अर्ज़ी देकर इस तरह के मामलों की सुनवाई कराई जा सकती है। अर्ज़ी पर न तो कोई फीस लगती है, न ही किसी वकील की ज़रूरत पड़ती है।

पढ़ने में तो एक से काम के लिए एक सी मज़दूरी ठीक लगती है पर काम तो हज़ार तरह के होते हैं। बहुत से क्षेत्रों में औरतों को काम ही नहीं मिलता। महिलाओं के क्षेत्र सीमित हैं। इसलिए बराबर की मेहनत करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह बिल्कुल एक जैसा काम है। और चूंकि ऐसा कहा नहीं जा सकता यह मालिक की मर्ज़ी पर है कि वह कितना मेहनताना दे। ज्यादातर देखने में आता है कि जो काम औरतों के लिए निधार्रित होते हैं उनमें कम मज़दूरी दी जाती है।

उदाहरण के लिए कपड़ा मिलों में 27 तरह के काम होते हैं। औरतों को मुख्यतया सूत लपटने वाले विभाग में काम दिया जाता है। अब यह काम भी उतना ही ज़रूरी है जितने और काम। काम के घंटे, मेहनत भी कम नहीं मगर इसकी मज़दूरी काफी कम निर्धारित की हुई है।

इसी तरह दवाई की फैक्टरी में औरतों को पैकेट बनाने का काम दिया जाता है। इसके लिए काफी कम पैसे मिलते हैं। लिंग भेद के आधार पर काम देने का सबसे आम उदाहरण निर्माण कार्यों में है। राज-मिस्त्री का काम पुरुष करते हैं। गारा ढोने, गिट्टी तोड़ने का काम औरतें। मज़दूरी में ज़मीन आसमान का फर्क है।

अदालत में चुनौती

क़ानून में कमी होने पर कई मामलों में महिलाएं अदालत में गईं और उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिली है।

कई जगह औरतों को काम देने के समय यह शर्त लगाई जाती है कि शादी के बाद उन्हें काम छोड़ देना होगा। सबसे पहले सन् 1967 में दवाई की फैक्टरी में काम करने वाली औरतों ने इस मुद्दे के खिलाफ़ विरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय में फैसला दिया गया कि यह शर्त ग़ैर-क़ानूनी है।

केरल सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं चपरासी के पद के लिए अर्ज़ी दे सकती हैं, लेकिन वहां साथ में यह शर्त लगा दी गई कि इस पद के लिए साइकिल चलाना आना ज़रूरी है। यह शर्त सिर्फ इसलिए लगाई गई कि महिलाओं की नियुक्ति न हो सके। रंजम्मा नामक महिला ने इसको चुनौती दी और केरल हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि यह शर्त ग़लत और ग़ैर-संवैधानिक है। इसे हटाया जाए।

रंजम्मा ने केरल सर्विस कमीशन द्वारा कामों के अन्यायपूर्ण वर्गीकरण—जिसके तहत कुछ काम औरतों को दिए ही नहीं जाएंगे, को भी चुनौती दी। इसमें भी केरल हाईकोर्ट का फैसला उनके हक़ में हुआ।

कोर्ट का फैसला था केवल यह सोचकर कि फलां काम औरते कर सकती हैं, फलां नहीं कर सकतीं काम का वर्गीकरण गलत है। यह

महिलाओं को खुद तय करने दिया जाए कि कौन सा काम वे कर सकती हैं, कौन सा नहीं और कौन सा काम उनके मान सम्मान के खिलाफ है। पुरुष प्रधान विधान सभा व पुरुष प्रधान प्रशासनिक तंत्र को कोई हक़ नहीं है कि वे तय करें कि यह काम महिलाएं कर सकती हैं या नहीं।

एक जैसे काम के लिए भी कई बार औरत को कम वेतन मिलता है। एक जहाज़ कंपनी में काम करने वाली महिला स्टेनो ऑड्रे डी कोस्टा ने अपने मालिक को अदालत में कम तन्ख्वाह देने के लिए चुनौती दी। यह पहली महिला थीं जिन्होंने बराबरी के मेहनताने के क़ानून के तहत अदालत में केस दायर किया। कंपनी के मालिक ने शुरू में तो नहीं माना, लेकिन बाद में उसे तथा अन्य महिला स्टेनों को न्याय मिला

बहुत से व्यवसायों में महिलाएं घर पर ले जाकर काम करती हैं। कई परंपरागत कामों से लेकर कई तकनीकी कामों में ऐसा होता है। मध्यप्रदेश की बीड़ी महिला कामगरों ने शोषण के खिलाफ़ आवाज़ उठाई। "सेवा" संस्था की मदद से औरतों की सहकारी समिति बनाई गई। इससे औरतों को पूरा वेतन तो मिला और भी कई लाभ हुए। अब वे बीड़ी बिना बिचौलियों के खुद बेचती हैं। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, जचगी सुविधाएं, बच्चों के वजीफ़े आदि सुविधाएं मिली हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने उन्हें घर मुहैया करने के लिए भी एक योजना शुरू की है।

अन्य सुविधाएं

कामकाजी महिलाओं को कुछ और सुविधाएं भी फैक्ट्री एक्ट के तहत दी गई हैं।

— महिलाओं के लिए अलग शौचालय।
— घूमने वाली मशीनों के पास काम करने की मनाही।
— रुई धुनने की मशीन के पास काम करने की मनाही।
— सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद औरतों से काम लेने की मनाही।

जच्चा के लिए विशेष कानून

इस क़ानून के तहत गर्भवती महिलाओं या जच्चाओं को नीचे लिखी सुविधाएं देना जरूरी है:

— पालनाघर की सुविधा
— प्रसव या गर्भपात के छः हफ्ते बाद तक काम करने व करवाने की मनाही।
— प्रसूति छुट्टी की पूरी तनख्वाह।
— गर्भपात होने पर छुट्टी व प्रसव संबंधी बीमारी की छुट्टी।
— गर्भावस्था के दौरान महिला को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
— बच्चे को दूध पिलाने की छुट्टी।
— मेडिकल बोनस या बच्चे की देखभाल के समय के पैसे नहीं कटेंगे।

क़ानूनी लड़ाई लंबी व खर्चीली है। महिलाओं का अपने समय व रुपए पर नियंत्रण कम ही होता है। अदालत का वातावरण महिलाओं के लिए सम्मान जनक नहीं होता। बहुत मजबूरी में ही वे अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं। □